

A.G.
9/8/12

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. _____ of 2012

Chandra Rekha Rani ----- Petitioner

Versus

The State of Bihar ----- Respondents.

Subject : - School Service Transfer

NON Gazetted

I N D E X

<u>Sl.No.</u>	<u>Particulars</u>	<u>Page No</u>
1.	An application under Article 226 of the Constitution of India with affidavit.	1 to 12
2.	Annexure-1 : A photo copy of advertisement	13-14
3.	Annexure-2 : A photo copy of application for District Option	15
4.	Annexure-3 : A photo copy of order contained in letter No. 41 of 09.01.2012	16-18
5.	Annexure-4 series : A photo copies of Residential Certificate and educational certificate	19-22

(ii)

6. Annexure-5 : A photo copy of letter No. 23-24
82 dated 10.02.2012
7. Annexure-6 : A photo copy of letter No. 25-
84(High) dt. 10.02.2012
8. Annexure-7 : A photo copy of list 26
9. Annexure-8 : A photo copy of order 27
contain in memo No. 465 dated
07.02.2012
10. Annexure-9 A photo copy of news paper 28.29
11. Vakalatnama

(ii)

Annexure- 5 : That the report regarding the appointment
10.02.2012 after counselling of Madhepura District
was submitted showing vacant post
of BC-I category.

Annexure-6 : That the further report also shows that
10.02.2012 30 persons were not present during
counselling of Madhepura District and
post remained vacant .

Annexure-8 : That inspite of option opted for choice
07.02.2012 posting and also in view of the
assurance made by the Govt. by the
Chief Minister Bihar and also in view of
availability of post of BC category the
petitioner after appointment was
posted in the District of Jamui.

Hence the writ petition.

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Civil Writ Jurisdiction)

C.W.J.C. No. of 2012

In the matter of an
application under Article
226 of the Constitution of
India

And

In the matter of
Chandra Rekha Rani, W/o - Kamal Kishore Yadav, Resident
of Village - Balatol, P.S. - Pusqini Bazar, District - Madhepra

Petitioner

Versus

1. The State of Bihar
2. Principal Secretary, Education Department, Govt.
of Bihar, Patna.

3. District Magistrate, Madhepura.
4. District Education Officer, Madhepura.
5. Regional Deputy Director Education, Koshi
Division, Saharsa.
6. District Education officer, Jamui.

----- Respondents.

To,

The Hon'ble Justice Ms. Rekha M. Doshit, the
Chief Justice of the High Court of Judicature at
patna and her companion Justices of the said
Hon'ble Court.

The humble petition on behalf
of the abovenamed petitioner.

Most Respectfully Sheweth :-

1. That through this application the petitioner
prays for following reliefs :-

- (a) For issuance of writ in the nature of mandamus for giving a direction to post the petitioner only in the District where she was given option for her posting asked for by the Govt. itself.
- (b) For ^{issuing} ~~submitting~~ the part order contained in Memo No. 465 dt. 07.02.12 by which the petitioner after appointment has been posted in the Jamui District.
- (c) For giving a direction to implement the Govt. assurance given by the Hon'ble Chief Minister Bihar on ^{the} ~~every~~ the house.
- (d) Any other relief / reliefs which this Hon'ble court may deem fit and proper.
2. That the petitioner is a citizen of India and lives within territorial jurisdiction of this Hon'ble Court .

3. That in ^{Complying} order passed by the Hon'ble Apex Court an advertisement was published in daily newspaper dt. 19.07.2010 for appointment of 34540 Assistant Teachers in Primary School of Bihar (Trained only).

A photo copy of advertisement is annexed herewith and marked as Annexure-1 to this writ petition.

4. That in view of the abovementioned advertisement petitioner being a trained applied for her appointment as Assistant Teacher, and after receiving her application option was also sought for posting.
5. That the petitioner made an application for District option and opted her posting in Districts of Madhepura, Purnea and Saharsa .

7. That ~~vide~~ ^{the petition} ~~order contained~~ is resident of Madhepura District and she belongs to Backward Caste and she possess the educational qualification and has also got training certificate.

A photo copies of Residential Certificate and educational certificate are annexed herewith and marked as Annexure-4 series to this writ petition.

8. That vide order contained in letter No. 82 (High) dt. 10.02.12 the report regarding the appointment after counselling of Madhepura District was submitted ~~and~~ and total post as per list of BC category was shown 58 whereas in the conselling only 51 persons were present and they were appointed and out of allotted seats of

58 BC category only 51 were appointed and 7 posts remain vacant.

A photo copy of letter No. 82 dated 10.02.2012 is annexed herewith and marked as Annexure-5 to this writ petition.

9. That it is also important and relevant to mention here that vide order contained in letter No. 84 (high) dt. 10.02.2012 it has been communicated that 30 persons were not present during counselling of Madhepura District.

A photo copy of letter No. 84(High) dt. 10.02.2012 is annexed herewith and marked as Annexure-6 to this writ petition.

10. That ignoring the abovementioned facts and circumstances mentioned above which clearly the petitioners name was not included in the list of Madhepura, Saharsa and Purnea and her name was included in the list of Jamui District without any basis.

A photo copy of list is annexed herewith and marked as Annexure-7 to this writ petition.

11. That on the basis of abovementioned list the petitioner after appointed was posted in the District of Jamui vide order contained in Memo No. 465 dt. 07.02.2012 .

A photo copy of order contain in memo No. 465 dated 07.02.2012 is

annexed herewith and
marked as Annexure-8 to
this writ petition.

12. That the petitioner is a lady and in view of the option opted by the Govt. she had made her choice for posting in the District of Madhepura , Saharsa and Purnea but inspite of the available post of BC-I category in the District of Madhepura she was not given posting in the District Madhepura and ignoring the abovementioned factors , she was posted in the District of Jamai, which is not sustainable either in facts or in law.
13. That the order impugned has been passed in violation of assurance given by the Chief Minister Bihar on the floor of the house for giving posting of women in this home District as in apparent from the news published in daily newspaper Hindustan times dt. 29.02.2012.

A photo copy of news paper is annexed herewith and marked as Annexure-9 to this writ petition.

14. That the present place of posting of the petitioner is about 275 K.M. away from the Home District, and her husband who is also a teacher (Asstt.) in Middle School Purnia in the District of Madhepura and is going to be retire in two years.
15. That in the facts and circumstances mentioned above the petitioner left no remedy other than to move this Hon'ble Court.
16. That no other application for the similar relief as prayed in present application has earlier been filed by the petitioner before this Hon'ble Court.

It is, therefore, prayed that your Lordship may graciously be pleased to issued Rule NISI challing upon the respondents to show cause as to why the relief prayed in the present application may not be allowed.

And

After return of the rule same may be made absolute.

And/or

Pass such other order/orders as your Lordship may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Chandra Rekha Rani, aged about 42 years, W/o - Kamal Kishore Yadav, Resident of Village - Balatol, P.S. - Pusuini Bazar, District - Madhepra, do hereby solemnly affirm and state as follows :-

1. That I am sole petitioner and am well acquainted with the facts and circumstances of this case.
2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have understood the same.
3. That the statements made in para Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 are true to my knowledge and those made in para Nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 are true to my information derived from the records of this case and rests are by way of submissions in this Hon'ble Court.
4. That the Annexure are true/typed/photocopies of their respective originals.

प्रकाशित तिथि :—दैनिक जागरण, पटना 19/06/2010

अन्तिम तिथि :—19/07/2010

इण्टरमीडिएट पास प्रशिक्षित सभी जाति के उम्मीदवारों के लिए

विज्ञापन संख्या-210/2010

बिहार कर्मचारी चयन आयोग

इण्टर पास

कुल पद

बिहार राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में

34540

सहायक शिक्षक

पद पर नियुक्ति हेतु आवश्यक निर्देश :-

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार के अन्तर्गत बिहार राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों में कुल 34540 सहायक शिक्षकों (वेतनमान-PB-2 एवं ग्रेड पे-4200) की नियुक्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा गठित "बिहार विशेष प्रारम्भिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010" के आलोक में दिनांक-23.01.2006 तक के प्रशिक्षित उम्मीदवारों से आवेदन पत्र (विहित प्रपत्र में) आमंत्रित किये जाते हैं।

2. रिक्तियों का कोटिवार व्योरा निम्नवत है :-

	सामान्य विषय	उर्दू	शारीरिक शिक्षा	योग	
1.	सामान्य	10297	6431	542	17270
2.	अनुसूचित जाति	3295	2058	173	5526
3.	अनुसूचित जनजाति	206	129	11	346
4.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	3707	2315	195	6217
5.	पिछड़ा वर्ग	2471	1543	130	4144
6.	पिछड़ा वर्ग की महिला	618	386	33	1037
	कुल योग :-	20594	12862	1084	34540

पदों की संख्या औपबधिक है।

- रिक्त पदों पर नियुक्ति :- विज्ञापित कुल 34540 पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही की जायेगी। आरक्षित कोटि अथवा उर्दू विषय में अर्हता प्राप्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त पदों को वरीयतानुसार अनारक्षित कोटि एवं सामान्य विषय के उम्मीदवारों से भरा जायेगा।
- वरीयता सूची का निर्माण :- प्रशिक्षण सत्र एवं प्रशिक्षण में प्राप्त अंक को आधार मानकर कोटिवार अभ्यर्थियों की वरीयता सूची तैयार की जायेगी। प्रशिक्षण सत्र एवं अंक समान होने पर उम्र को आधार माना जायेगा। तैयार सूची (सत्रवार दो वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवार के नाम के पश्चात 100 एडो उम्मीदवार के नाम तथा उसके पश्चात शारीरिक शिक्षक उम्मीदवार 100 पी० एडो के बाद 100 पी० एडो के नाम के साथ) से जिलावार एवं कोटिवार स्थिति के अनुसार काउन्सिलिंग के आधार पर उम्मीदवारों के नाम की अनुसूचा विभाग को भेज दिये जायेंगे।

नोट : किसी भी त्रुटि के लिए मुद्रक या फार्म विक्रेता जिम्मेवार नहीं है। विस्तृत विवरण के लिए प्रकाशित पेपर अवश्य देखें।

करतार कोचिंग सेंटर प्रा० लि० मुखनियों कुओं, पटना-4, Ph.: 2302711
 Branch संचो, Ph.: 3204862 Centre-1 मागलपुर, Ph.: 2402951, Centre-2 गोरखपुर, Ph.: 3204098

निश्चित सफलता हेतु हिन्दी मासिक पत्रिका **EXAMINER'S EYE VIEW** अवश्य पढ़ें।

विक्रेता : पीयूष बुक सेंटर, बुद्ध मंजारा, बुद्ध मार्ग, पटना-1 (P.T.O.)

Ann-2

15

Appointment of Assistant Teachers in Elementary Schools

(Ref. - Advertisement No. SSC-210/2010)

Application for District option

1. Applicant's Name CHANDRA REKHA RANI
2. Father's Name THAKUR PRASAD YADAV
3. Date of Birth 01 01 70

4. Name of Block & District as Permanent Address.
Block

A T B A L A T O L A P I O N
District

A Y A T O L A T H A D H E P U R A

5. Preferences of District of Posting

- (a) MADHEPURA
(b) PURNIA
(c) SAHARSA

Chandra Rekha Rani
Name of Application

Chandra Rekha Rani
Signature of Application

9/11/08/10

का.स. 1/12
 श्री. जी. का. 2

Annex-3

16

पत्रांक-7/दिनांक-6/09 संश. 1/41
 बिहार सरकार
 शिक्षा विभाग।

प्रेषक - अंजनी कुमार सिंह,
 प्रधान सचिव।
 सेवा में - सभी जिला पदाधिकारी,
 सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- 09/09/2012

विषय - माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक-13.07.2011 को पारित आदेश के आलोक में राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में "बिहार विशेष प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010" के आलोक में 34540 प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जिलावार पदों के वितरण के संबंध में।

15/11/12

महोदय - उपर्युक्त विषय से संबंधित पूर्व में भेजा गए विभागीय पत्रांक-733 दिनांक-11.06.2010 का निर्देश करें। प्राथमिक पत्र के द्वारा राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 34540 शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जिलावार पदों की संख्या संसूचित की गयी थी। पुनः विभागीय पत्रांक-903 दिनांक-12.07.2010 के द्वारा उक्त संसूचित शिक्षक पदों को जिले के प्राथमिक विद्यालयों में वितरित करने के संबंध में निर्देश दिये गये थे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 34540 शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित अमान्यताओं को दिनांक-13.07.2011 को सुनवाई करते हुए निम्नलिखित किया गया है: तदनुसार राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में 34540 शिक्षकों की नियुक्ति हेतु विषयवार शिक्षक पदों की संख्या निम्नवत है :-

1.	सामान्य शिक्षक	-	28600
2.	उर्दू शिक्षक	-	4827
3.	शारीरिक शिक्षक	-	1113
			34540

उक्त के अलावा जिलावार विचारित किया जान वाले पदों की संख्या प्रत्येक जिले के रूप में संलग्न किया जा रहा है। उपरोक्त अनुसूची के अनुसार जिला के प्राथमिक विद्यालयों में पदों का वितरण निम्न विन्दुओं को ध्यान में रखकर किया जाए :-

- (क) जिले के शहरी क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों में कोई पद वितरित नहीं किया जाए।
- (ख) जिले के ग्रामीण क्षेत्र के केवल कक्ष विद्यालयों में सभी सामान्य शिक्षक के पद एवं शारीरिक शिक्षक का पद शिथिल पत्र अनुसार में आवश्यकतानुसार वितरित किया जाये। उर्दू पदों को आवश्यकतानुसार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में वितरित किया जाये।

अतः पूर्व के विभागीय पत्रांक-733 दिनांक-11.06.2010 एवं पत्रांक-903 दिनांक-12.07.2010 को निरस्त करते हुए अनुरोध किया है कि उपर्युक्त विन्दुओं के आलोक में संलग्न अनुसूची के अनुसार यद्यपि सिले से दिनांक-15 जनवरी 2012 तक जिले के विद्यालयों में पदों का वितरण सुनिश्चित किया जाए तब तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत में जनवरी 2012 के अंत तक 34540 शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जाये।

विश्वरूप -

(अंजनी कुमार सिंह)
 प्रधान सचिव।

शा.पं.क. मधुपुरा, दिनांक
 प्रतिनिधि:- जिला कार्यक्षेत्र पदाधिकारी
 उपर्युक्त निर्देश अनुपासनाय प्रेषित।

जनवरी 2012 मधुपुरा को सूचनाय एवं
 जिला शिक्षा पदाधिकारी

प्रपक,

अंजनी कुमार सिंह

प्रधान सचिव।

भेजा में

सभी जिला पदाधिकारी

सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी।

पटना, दिनांक 02-01-2012

विषय : माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-13.07.2011 को पारित आदेश के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के आलोक में 34540 प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जिलावार पदों के वितरण के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय से संबंधित पूर्व में भेजे गए विभागीय पत्रांक-733 दिनांक-11.06.2009 का निदेश करें। प्रारंभिक पत्र के द्वारा राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 34540 शिक्षकों की नियुक्ति हेतु जिलावार पदों की संख्या संसूचित की गयी थी। पुनः विभागीय पत्रांक-903 दिनांक 12.07.2010 के द्वारा उक्त संसूचित शिक्षक पदों को जिला के प्रारंभिक विद्यालयों में वितरित करने के संबंध में निदेश दिये गये थे।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 34540 शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित अवमाननावाद की दिनांक 13.07.2011 को सुनवाई करते हुए निष्पादित किया गया है। तदनुसार राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में 34540 शिक्षकों को सुनवाई हेतु विषयवार शिक्षक पदों की संख्या निम्नवत है :-

1. सामान्य शिक्षक -	28600
2. उर्दू शिक्षक -	4827
3. शारीरिक शिक्षक -	1113
	34540

उक्त के आलोक में जिलावार वितरित किये जाने वाले पदों की संलग्न अनुलग्नक -क के रूप में संलग्न किया जा रहा है। अतएव अनुलग्नक-क के अनुसार जिला के प्रारंभिक विद्यालयों में पदों का वितरण निम्न बिन्दुओं का ध्यान में रखकर किया जाय -

(क) जिले के शहरी क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में कोई पद वितरित नहीं किया जाए

(ख) जिले के ग्रामीण क्षेत्र के केवल मध्य विद्यालयों के सभी सामान्य शिक्षक का पद एवं शारीरिक

शिक्षक का पद शिक्षक छात्र अनुपात में आवश्यकतानुसार वितरित किये जाये। उर्दू पदों को

आवश्यकतानुसार प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में वितरित किया जाये।

अतः पूर्व के विभागीय पत्रांक-733 दिनांक 11.06.2010 एवं पत्रांक-903 दिनांक 12.07.2010 को निरस्त करते हुए अनुरोध करना है कि उपर्युक्त बिन्दुओं के आलोक में संलग्न अनुलग्नक के अनुसार नये सिरे से दिनांक 15 जनवरी 2012 तक जिले के विद्यालयों में पदों का वितरण सुनिश्चित किया जायताकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जनवरी 2012 के अंत तक 34540 शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित की जा सके।

विश्वासभाजन

ह0/-अस्पष्ट

(अंजनी कुमार सिंह) प्रधान सचिव

पत्रांक-----/ मधेपुरा, दिनांक जनवरी 2012

प्रतिस्वीकार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं उपर्युक्त निदेश अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/-अस्पष्ट 10.1.2012

जिला शिक्षा पदाधिकारी

क्र० सं०	जिला का नाम	जिलावार सामान्य शिक्षक का कुल पद	कोटिदार बितरण							जिलावार उर्दू शिक्षकों का कुल पद	जिलावार भाषाईक शिक्षक का कुल पद	कोटिदार बितरण							कुल
			अनाम	अज्ञेय वर्गि जति	अज्ञेय वर्ग जति	अनाम शिक्षक जति	शिक्षक वर्ग जति	शिक्षक वर्ग (शिक्षक)	अनाम			अज्ञेय वर्गि जति	अज्ञेय वर्ग जति	अनाम शिक्षक जति	शिक्षक वर्ग जति	शिक्षक वर्ग (शिक्षक)			
24	अजमेर	496	245	78	5	88	59	15	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613
25	अजमेर	530	266	84	5	94	64	16	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	790
26	अजमेर	606	325	96	6	85	72	18	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	770
27	अजमेर	1370	615	121	11	123	128	32	110	119	60	19	21	14	4	0	0	0	1225
28	अजमेर	840	521	84	8	101	101	25	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100
29	अजमेर	970	535	105	10	125	116	29	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1100
30	अजमेर	940	511	100	9	119	113	28	140	89	44	12	16	11	5	0	0	0	1150
31	अजमेर	650	324	104	7	67	78	20	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1150
32	अजमेर	740	421	118	7	85	89	22	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1150
33	अजमेर	1090	645	124	11	146	131	33	260	99	49	16	18	12	3	0	0	0	1450
34	अजमेर	490	245	78	5	88	59	15	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557
35	अजमेर	640	521	84	8	101	101	25	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	955
36	अजमेर	380	190	61	4	68	46	11	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450
37	अजमेर	1046	615	117	10	119	126	31	170	78	38	14	14	9	2	0	0	0	1290
38	अजमेर	860	529	88	9	105	103	26	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950
कुल		28600	16576	3721	286	3697	3432	858	4827	1113	557	176	200	134	33	0	0	0	34540

(अज्ञेय वर्ग शिक्षक)
 अज्ञेय वर्ग शिक्षक
 अज्ञेय वर्ग शिक्षक

क्र.सं.	विकास क्षेत्र	विकास क्षेत्र	विकास क्षेत्र	सहकारी विभाग				सहकारी विभाग				सहकारी विभाग				कुल		
				अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी		अग्रजमी	
सं.	नाम	कुल पट	अनाड	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी	अग्रजमी
24	विजयपुर	245	245	78	5	88	59	15	130	0	0	0	0	0	0	0	0	69.30
25	अर्धराज	266	266	84	5	95	64	16	206	0	0	0	0	0	0	0	0	790
26	कटिहार	325	325	96	6	83	72	18	130	0	0	0	0	0	0	0	0	77.30
27	भरत	675	675	121	11	143	128	32	110	119	60	19	1	21	14	4	0	1299
28	गोपालगंज	521	521	84	8	114	101	25	260	0	0	0	0	0	0	0	0	11100
29	सिवान	585	585	105	10	125	116	29	180	0	0	0	0	0	0	0	0	1150
30	दरभंगा	521	521	100	9	119	113	28	140	89	44	14	1	6	11	3	0	1160
31	मधुबनी	374	374	104	7	67	78	20	150	0	0	0	0	0	0	0	0	8000
32	समस्तीपुर	421	421	118	7	83	89	22	160	0	0	0	0	0	0	0	0	9.00
33	मुजफ्फरपुर	645	645	124	11	146	131	33	260	99	49	16	1	18	12	3	0	1448
34	बैशाली	245	245	78	5	88	59	15	67	0	0	0	0	0	0	0	0	5.53
35	सितामढ़ी	531	531	84	8	101	101	25	110	0	0	0	0	0	0	0	0	9.58
36	शिवहर	190	190	61	4	68	46	11	70	0	0	0	0	0	0	0	0	4.50
37	पूर्वी चम्पारण	678	678	117	10	139	128	31	170	78	38	14	1	14	9	2	0	12.98
38	पश्चिमी चम्पारण	529	529	88	9	105	103	26	100	0	0	0	0	0	0	0	0	9.68
	योग:-	28600	16576	3751	286	3697	3432	858	4827	1113	557	178	11	200	134	33	0	345.10



~~Form 4 Series~~
बिहार सरकार
GOVERNMENT OF BIHAR

फॉर्म-XIII

कार्यालय का नाम

जिला : मधेपुरा, अनुमंडल : उदाकिशुनगंज, प्रखंड : पुरैनी

निवास प्रमाण-पत्र

संघटन संख्या : 040114111111200734

दिनांक : 11/2/12

प्रमाण-पत्र संख्या : 6166

शं कर्मो, पं सच्चित, एवं अं नि के अं प्रतियेदन के आधार पर
प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री CHANDRA REKHA RANI

Sri/Smt./Kumari CHANDRA REKHA RANI

पिता/पति KAMAL KISHOR YADAV

ग्राम/नगर BALATOL

Father/Husband KAMAL KISHOR YADAV

Village/Town BALATOL

पोस्ट NAYATOLA

थाना PURAINI

प्रखंड पुरैनी


अनुमंडल उदाकिशुनगंज

जिला मधेपुरा

राज्य बिहार के स्थायी/अस्थायी निवासी हैं।

स्थान : पुरैनी

दिनांक : 11/2/12



कार्यालय जिला पदाधिकारी, मधेपुरा

अत्यंत पिछड़ा वर्ग / पिछड़ा वर्ग के लिए

जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाण पत्र सं० - 725

दिनांक 24/7/10

अनुमण्डल पदाधिकारी उदाकिभुवंग के
 प्रमाण-पत्र संख्या 520 दिनांक 30/6/10 के आधार पर प्रमाणित
 किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ~~पद्मदेवी रानी~~ -
 पिता/पति ~~श्री कृष्ण किशोर यादव~~ ग्राम ~~पाला चोला~~
 पो. ~~काला चोला~~ थाना ~~भुवंग~~ - अनुमण्डल उदाकिभुवंग
 जिला ~~मधेपुरा~~

बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
 जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिये) अधिनियम 1991 अधीन पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1) पिछड़ा
 वर्ग (अनुसूची-2) के अन्तर्गत ~~मादय~~ जाति के सदस्य हैं। यह भी प्रमाणित
 किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री ~~पद्मदेवी रानी~~ भारत सरकार के कामिक
 एवं प्रशिक्षण विभाग के ओ० एन० न० 360 12/22/93 इ० एस० टी० (एस० सी० टी०) दिनांक 09-
 09-93 की अनुसूची में विनिर्दिष्ट (निमीलेयर) के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

जिला पदाधिकारी
मधेपुरा

नोट :- जो लागू नहीं हो उसे काट दें



हस्ताक्षर 24/7/10

...

कार्यालय

महिला प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय
फारबिसगंज (पूणिया)

हातांक - 294

दिनांक 13.7.89

प्रमाणित किया जाता है कि पद्म रेखा (एन)
पिता/पति श्री राहुल प्रसाद यादव ने सत्र 1986-88 में
इस प्रशिक्षण महाविद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

आज दिनांक 13.7.89 के अपराह्न में इन्हें प्रशिक्षण से मुक्त
किया जाता है।

दि. 13.7.89
प्राचार्या
प्राचार्या
महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय
फारबिसगंज (पूणिया)

[Handwritten Signature]

65

महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, फारबिसगंज (पूर्णिमा)
प्रशिक्षण महाविद्यालय छोड़ने का प्रमाण-पत्र

- १ छात्रा का नाम : सुश्री रेखा (100)
 क्रमांक : 106 संहिता क्रमांक : 14206 संकेत :
- २ पिता या पति का नाम : श्री हाबल प्रसाद
- ३ निवास-स्वात :
 ग्राम : (गोशाल)
 थ नं : 628/1
 जिला : पूर्णिमा
- ४ प्रवेश पंजी में अंकित जन्म-तिथि : 1-1-1970 वाषिक/पूरक
 वर्ष : 1986-88
- ५ बिहार परीक्षा समिति द्वारा उत्तीर्ण होने का वर्ष : 1992
- ६ प्राप्त श्रेणी (शब्दों में) : बि. ए. ए. ए.
- ७ आचरण : 8/11/95
 निर्गम तिथि : 24.5.95

प्रमाण विभाग
हस्ताक्षर 24/11/95

2-मुरवजा
24.5.95
प्रान्तिया

(समाप्त/शुद्ध)

पत्रांक 82 (उच्च)

पत्रांक

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधुपुरा

सेवा में

श्री श्री शिक्षा रूप निदेशक
श्री श्री प्रशासन महाराज

मधुपुरा दिनांक 10/02/12

विषय: निम्नलिखित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति का
आवक पत्र के अन्तर्गत में जो कि नियुक्ति प्रस्ताविका
आवक पत्र के अन्तर्गत में है।

महाराज

आवक पत्र के अन्तर्गत में आवक पत्र के अन्तर्गत में
निम्नलिखित प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति प्रस्ताविका
आवक पत्र के अन्तर्गत में है जो कि नियुक्ति प्रस्ताविका
आवक पत्र के अन्तर्गत में है।

विश्वनाथ

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधुपुरा
दिनांक 10/02/12
पत्रांक 82 (उच्च) / मधुपुरा दिनांक 10/02/12
प्रतिभाषा: निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, निम्नलिखित
आवक पत्र के अन्तर्गत में है।
जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधुपुरा
दिनांक 10/02/12

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।

(स्थापना शाखा)

पत्रांक-82 (उच्च)

प्रेषक :

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक
कोशी प्रमंडल सहरसा।

मधेपुरा दिनांक 10.02.12

विषय : बिहार विशेष प्रारम्भिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के आलोक में की गई नियुक्ति से संबंधित प्रतिवेदन समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में अंकित करना है कि बिहार विशेष प्रारम्भिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के आलोक में जिले में सामान्य कोटि एवं उर्दू कोटि में की गई नियुक्ति से संबंधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर भवदीय सेवा में समर्पित की जा रही है।

विश्वासभाजन

ह0/-अस्पष्ट

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
मधेपुरा 10.2.12

ह0/-अस्पष्ट

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा 10.2.12

ज्ञापांक 82 (उच्च) / मधेपुरा दिनांक 10/02/2012

प्रतिलिपि- निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ समर्पित।

ह0/-अस्पष्ट

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
मधेपुरा 10.2.12

ह0/-अस्पष्ट

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा 10.2.12

प्रतिवेदन- प्रपत्र

(34540 सहायक शिक्षकों के नियुक्ति से संबंधित)

जिला का नाम- मधेपुरा
(क) समेकित सूचना

दिनांक- 10.2.2012

क्र.सं.	शिक्षक की श्रेणी	आवंटित सम्भावकों की संख्या	आवंटित संख्या के अंतर्गत वितरित नियुक्ति पत्रों की संख्या
	सामान्य शिक्षक	480	423
	उर्दू शिक्षक	50	43
3.	शारीरिक शिक्षक	शून्य	शून्य
4.	कुल	530	466

(ख) कोटेशन सूचना

क्र.सं.	कोटि	आवंटित संख्या			वितरित नियुक्ति पत्रों की संख्या		
		सामान्य शिक्षक	उर्दू शिक्षक	शारीरिक शिक्षक	सामान्य शिक्षक	उर्दू शिक्षक	शारीरिक शिक्षक
1	अभारक्षित (U.R.)	241	—	—	228	—	—
2	विद्यार्थी वर्ग (B.C.)	53	—	—	51	—	—
3	अव्यवस्था विद्यार्थी वर्ग (M.B.C.)	85	—	—	66	—	—
4	विद्यार्थी वर्ग की महिला [B.C.(F)]	14	—	—	14	—	—
5	अनुसूचित जाति (S.C.)	77	—	—	59	—	—
6	अनुसूचित जनजाति (S.T.)	05	—	—	05	—	—
7	कुल	480	50	—	423	43	—

नियुक्ति विकल्प शिक्षकों की संख्या	
सामान्य शिक्षक	16
उर्दू शिक्षक	—
शारीरिक शिक्षक	—
कुल	16

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा)

का हस्ताक्षर

10.2.12

जिला शिक्षा पदाधिकारी

का हस्ताक्षर

10/2/12

देशीय शिक्षा उप निदेशक

प्रमण्डल का हस्ताक्षर

प्रतिवेदन- प्रपत्र

(34540 सहायक शिक्षकों के नियुक्ति से संबंधित)

जिला शिक्षा पदा0 नंधपुरा

दिनांक- 10.02.2012

वि.सं. श्रेणीगत सूचना

क्र०सं०	शिक्षक की श्रेणी	आवंटित उम्मीदवारों की संख्या	आवंटित संख्या के अन्तर्गत वितरित नियुक्ति पत्रों की संख्या
1.	सामान्य शिक्षक	480	423
2.	दृष्ट शिक्षक	50	43
3.	शारंगिक शिक्षक	शून्य	शून्य
4.	कुल	530	466

(ख) कोटिवार सूचना

क्र.सं.	कोटि	आवंटित संख्या			वितरित नियुक्ति पत्रों की संख्या		
1.	अनशिक्षित (U.R.)	241	228
2.	पिछड़ा वर्ग (B.C.)	58	51
3.	अन्यन्त पिछड़ा वर्ग (M.B.C.)	85	66
4.	पिछड़ा वर्ग महिला (B.C.- F)	14	14
5.	अनुसूचित जाति (SC)	77	59
6.	अनुसूचित जनजाति (ST)	05	05
7.	कुल	480	50	...	423	43	...

नियुक्त विकलांग शिक्षकों की संख्या

सामान्य शिक्षक	16
दृष्ट शिक्षक	--
कुल	16

जिला शिक्षा पदा0 (स्था0)

11 हरनाक्षर अस्पष्ट

10.2.12

जिला शिक्षा पदा0.....

का हस्ताक्षर -- अस्पष्ट

16.2.12

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक

.....प्रमण्डल का हस्ताक्षर

वार्षिक, विद्या शिक्षण परामर्शदाता, ग्दपुरा

सं. संख्या 84(324)

पत्रांक 84(324)

प्रति -

विद्या शिक्षण परामर्शदाता,
ग्दपुरा ।

सेवा में,

क्षेत्रीय शिक्षण उप-निदेशक
श्रीश्री प्रमोद, करवा ।

ग्दपुरा, दिनांक 16-2-2012

विषय : विद्या शिक्षण परामर्शदाता नियुक्ति नियमावली, 2010 के अंतर्गत में सामान्य कोटि में नियुक्ति के संबंध में ।

संदर्भ,

अनुसूचित विद्या शिक्षण परामर्शदाता नियुक्ति नियमावली 2010 के प्रांशिक में विद्ये की आवेदन कुम 480 सामान्य कोटि अभ्यर्थियों में से कुल 423 प्रचार भी लेखक अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी । प्रश्न 57 प्रमाणावली अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं किये जाने के संबंध में विवरण निम्नवत :-

1. कुम सं. 35, 53, 52, 148, 149, 177, 200, 212, 231, 237, 230, 242, 293, 291, 305, 323, 377, 402, 404, 405, 410, 413, 422, 423, 432, 444, 457, 459, 467 एवं 478 कुम 50 प्रमाण पत्र विभाग के दौरान उपस्थित नहीं हुए।
2. कुम सं. 352 का फोटो एवं प्रमाण पत्र में भिन्नता के कारण प्रमाण पत्र विभाग कार्य नहीं किया गया ।
3. कुम सं. 260, 331, 393, 398, 399, 401, 403, 406 कुम 5 प्रमाण पत्र विभाग कार्य दिवसीय विभागांक प्रमाण अवकाशक अवकाश ले रने के कारण नियुक्ति नहीं की गयी ।
4. कुम सं. 278 - प्रशिक्षण संत सर्वप्रथम दिवस से
 कुम सं. 300 - राजेश किशोर कावेर, नौरा नारा से
 कुम सं. 322 - आनंद लाल कावेर कावेर से
 कुम सं. 377 - प्रमोद लाल सुभद्रा कावेर से प्रेमिनी कावेर से
 कुम सं. 414, 419 - डॉ. कवेर लाल विद्या शिक्षण परामर्शदाता नियुक्ति
 कुम सं. 425 - राजेश लाल कावेर कावेर कावेर विद्यालय, केजावा
 कुम सं. 445, 452, 458 - नारायण लाल लाल विद्यालय
 कुम सं. 453, 454 - जयलाल कावेर, कावेर
 कुम सं. 477, 513 - विद्या कावेर
 कुम सं. 409, 470, 475 - सुनील कावेर
 कुम सं. 324 - लाल कावेर कावेर कावेर

टीका-4 में जिन कुम 16 अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र कावेर लेखक एवं प्रमाण पत्र विभाग होने के कारण नहीं किया गया है । विभाग से कार्य-सूची नहीं ली गयी ।

सूचना के माध्यम से ।

दिनांक 84(324) दिनांक 16-2-2012
 शिक्षण परामर्शदाता, ग्दपुरा, विद्या, परवा की सुभाषी संख्या ।
 शिक्षण परामर्शदाता, ग्दपुरा

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा।
(स्थापना शाखा)
पत्रांक-84 (उच्च)

प्रत्येक :

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा।

सेवा में,

क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक
कोशी प्रमंडल सहरसा।

मधेपुरा दिनांक 10.02.12

विषय : बिहार विशेष प्रारम्भिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के आलोक में सामान्य कोटि में नियुक्ति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बिहार विशेष प्रारम्भिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के आलोक में जिले को आवंटित कुल 480 सामान्य कोटि अभ्यर्थियों में से कुल 423 (चार सौ तेईस) अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गयी। शेष 57 (सन्तावन) अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं किये जाने के संबंध में विवरण निम्नवत है-

1. क्रम सं. 35, 53, 82, 146, 149, 177, 206, 212, 231, 237, 238, 242, 253, 291, 305, 323, 377, 402, 405, 410, 413, 422, 423, 432, 444, 457, 459, 467 एवं 478 कुल 30 प्रमाण पत्र मिलान के दौरान उपस्थित नहीं हुए।
2. क्रम सं. 352 का फोटो एवं प्रमाण पत्र में भिन्नता के कारण प्रमाण पत्र मिलान कार्य नहीं किया गया।
3. क्रम सं. 260, 331, 395, 398, 399, 401, 403, 406 कुल 8 (आठ) प्रशिक्षण गांधी हिन्दी विद्यापीठ प्रयाग इलाहाबाद अमान्य संस्था से रहने के कारण नियुक्ति नहीं की गई।
4. क्रम सं. 378 - प्रशिक्षण संत मरियम देवघर से
क्रम सं. 300 - रतनसेन डिग्री कॉलेज, बैसी, बस्ती से
क्रम सं. 322 - ऑल हाफीज कॉलेज, आरा से
क्रम सं. 397 - पथ भारती एडुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग कौंसिल
क्रम सं. 414, 415 - डॉ० अम्बेडकर संस्कृत विद्यापीठ, जोकिया बेगूसराय
क्रम सं. 425 - राम मनोहन लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद
क्रम सं. 445, 452, 468-वाराणसीय संस्कृत विश्वविद्यालय
क्रम सं. 453, 454-ऑक्सफोर्ड कॉलेज, कलकता
क्रम सं. 277, 313-निस्ता कटिहार
क्रम सं. 409, 470, 479 - कुंजीरी आमलनगर
क्रम सं. 324 - उत्कल विश्वविद्यालय, उड़ीसा

कंडिका-4 में अंकित कुल 18 अभ्यर्थियों की नियुक्ति उनके प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र अमान्य संस्था एवं प्रमाण पत्र संशयपूर्ण होने के कारण नहीं किया गया है। विभाग से मार्ग-दर्शन मांगी गई है।

सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभजन

ह०/-अस्पष्ट 10/2

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा।

पत्रांक-84 (उच्च) / दिनांक 10.2.2012

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, बिहार, पटना को सूचनार्थ समर्पित।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा।

Sl. No.	App Id	Name
22847	OP2010076311	SURESH CHANDR RAI
22848	OP201007776	MD. THERAY
22849	OP2010062688	MD ARIF HUSSAIN
22850	OP2010098013	CHANDRA REKHA RANI
22851	OP201012868	GOURI KUMAR
22852	OP201006004	DEVENDRA RAY
22853	OP2010090598	SUNITA KUMARI
22854	OP201046878	KUMARI RAGINEE
22855	OP201058613	MD MUSA

Ann 8

27

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई

आदेश

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा अवमानवाद संख्या 297/2007 में पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित "बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2010" तथा विभागीय निर्देश (पत्रांक-41, दिनांक-09.01.2012) के आलोक में जिला के लिये अनुशंसित सामान्य विषय के शिक्षक/उर्दु/आरंभिक शिक्षक (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) के निम्नांकित अभ्यर्थी को प्रारंभिक विद्यालय में सहायक शिक्षक के पद पर पे बैंड- P2 ग्रेड पे -4200 में नियुक्ति कर उनके नाम के सामने निम्न अंकित विद्यालय में योगदान की दिधि से पदस्थापित किया जाता है:-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	अनुशंसित वरीयता सूची का क्रमांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
343	एन.ए. रेखा रानी	एन. ठाकुर प्रसाद	ग्राम-पिपरी-नवागौर शाना-पुईनी जिला-मधेपुरा	483	301/वि० किरानजोरी -पक्राई

नियुक्ति संबंधी शर्तें :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। उम्मीदवारों के लिये निर्धारित सेवाकालीन शिक्षण पूरा करना तथा प्रमाण पत्र की जाँच के उपरान्त न्यूनतम एक साल की सेवा अवधि पूरा होने के उपरान्त ही सेवा सम्पुष्ट की जायगी।
2. उम्मीदवारों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित वरीयता सूची के अनुरूप होगी।
3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यदि किसी अनुशंसित उम्मीदवार के संबंध में कोई पत्रिकृत अनुशंसा प्राप्त की है तो तदनुसार उम्मीदवार की वरीयता व नियुक्ति प्रभावित होगी।
4. नियुक्ति पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर ही पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना होगा।
5. नियुक्त शिक्षकों के वेतनमान एवं सामान्य सेवा शर्तें जहाँ होगी जो पूर्व के जिला सर्वगं क नियुक्त शिक्षक के हैं। किन्तु पेंशनादि हेतु ये शिक्षक राज्य सरकार के अरादायी पेंशन योजना से अछादित होंगे।
6. योगदान के समय सिविल सर्जन के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना होगा।
7. नियुक्ति पत्र का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
8. प्रमाण पत्रों के जाँच के उपरान्त प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाये जाने पर नियुक्ति रद्द करते हुए भुगतान की शर्त राशि की एक-मुश्त वसूली की जायगी एवं कानूनी कार्रवाई भी की जायगी।

जिला शिक्षा पदाधिकारी
जमुई।

ज्ञापक- 465 जमुई, दिनांक- 07/02/12

प्रतिलिपि- संबंधित अभ्यर्थी/विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं जमाखाना पदाधिकारी, जमुई को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई प्रेषित।

जिला कार्यकम पदाधिकारी,
(स्थापना) जमुई।

जिला शिक्षा पदाधिकारी,
जमुई।

कार्यालय, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जमुई आदेश

विभागाध्यक्ष राष्ट्रीय न्यायालय नई दिल्ली द्वारा अवमानवादा संख्या 297/2007 में पारित आदेश के अनुपालन में राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित “बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली, 2010” तथा विभागीय निदेश ;पत्रांक-41,दिनांक-09.01.2012 के आलोक में जिला के लिये अनुशंसित सामान्य विषय के शिक्षक / उर्दू/ शारीरिक शिक्षक (जो लागू नहीं हो उसे काट दें) के निम्नांकित अभ्यर्थी को प्रारंभिक विद्यालय में सहायक के पद पर पे बैंड-P2 ग्रेड पे-4200 में नियुक्ति पर उनके नाम के सामने निम्न अंकित विद्यालय में योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है:-

क्र. सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/ पति का नाम	पता	अनुशंसित वरीयता सूची का क्रमांक	पदस्थापित विद्यालय का नाम
303	मन्दा रेखा राजी	स्व० ठाकुर प्र० यादव	गा०+पो०-नया टोला थाना- पुरैनी जिला- मधेपुरा	483	उ०म०वि० किरानजोरी चकाई

निबंधित संबंधी शर्तें:-

- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी। उम्मीदवारों के लिये निर्धारित सेवाकालीन प्रशिक्षण पूरा करने तथा प्रमाण पत्रों की जाँच के उपरान्त न्यूनतम एक साल की सेवा अवधि पूरा होने के उपरान्त ही सेवा सम्पुष्ट की जाय।
- उम्मीदवारों की आपसी वरीयता आयोग द्वारा अनुशंसित वरीयता सूची के अनुरूप होगी।
- बिहार कर्मचारी वयन आयोग द्वारा यदि किसी अनुशंसित उम्मीदवार के संबंध में कोई प्रतिकूल अनुशंसा प्राप्त की है तो तदनुसार उम्मीदवार की वरीयता व नियुक्ति प्रभावित होगी।
- नियुक्ति पत्र निर्गत होने के 15 दिनों के अर्न्तगत पदस्थापित विद्यालय में योगदान करना होगा।
- नियुक्त शिक्षकों के वेतनमान एवं सामान्य सेवा शर्तें वही होगा जो पूव के जिला संवर्ग के नियुक्त शिक्षक के हैं। किन्तु पेंशनदि हेतु ये शिक्षक राज्य सरकार के अंशदायी पेंशन योजना से अछादित होंगे।
- योगदान के समय सिविल सर्जन के स्तर से निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र देना होगा।
- नियुक्ति पत्रा का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।
- प्रमाण पत्रों के जाँच के उपरान्त प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाये जाने पर नियुक्ति रद्द करते हुए भुगतान की गयी राशि की एक-मुश्त वसूली की जायगी एवं कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

ह०

जिला शिक्षा पदाधिकारी
जमुई।

ज्ञापक-.....जमुई, दिनांक-...../

प्रतिलिपि- संबंधित अभ्यर्थी/विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक/प्रधान शिक्षक/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०

जिला शिक्षा पदाधिकारी

ह०

जिला शिक्षा पदाधिकारी
जमुई।

Annex-9

-28-

It is learned that the ministry had asked the records of the date of birth in service of those who were born on or after May 10, 1950 will remain as per their records. **Bhattacharya to their uncle, allowing him to take them back to India.** » P8

First in Indian Times 29/2/2012

Home, sweet home (district) for women teachers in state

Anirban Guha Roy
anirban.guha@indianexpress.com

PATNA: Newly appointed women teachers in government schools posted in different districts can look forward to getting a transfer within their home district soon.

On Tuesday, chief minister Nitish Kumar made an assurance to this effect after the matter was raised by opposition leader Abdul Bari Siddiqui in the state assembly. The opposition leader had charged the government with adopting an

THE GOVERNMENT WILL TAKE A CONSIDERATE VIEW ON POSTING WOMEN TEACHERS AS PER THEIR CHOICE

"insensitive approach" in the posting of 1423 newly appointed women teachers in districts outside.

"The government will certainly take a considerate view on posting women teachers as per their choice or in close prox-

imity to their home districts soon," he said.

In total, 28,000 general teachers (2850 women teachers), 4246 Urdu teachers and around 1000 physical teachers of reserved and unreserved categories were appointed in primary schools, as per a Supreme Court ruling last year.

The education minister also informed the House that it was a incorrect to say that all women teachers were posted far off from their home districts.

CONTINUED ON PAGE 9

Home, sweet home (district)...

CONTINUED FROM PAGE 1

"Of the 2850 appointees, 1423 women teachers have been posted within their home district or division. The rest could not be accommodated due to limited number of vacancies in each district," he said.

Incidentally, the opposition leader charged the government with ignoring the interests of backward classes, especially extremely backward castes, by making appointments of general candidates against reserved posts.

The charge was strongly refuted by

the education minister who gave a detailed account of the Supreme Court ruling and insisted that all reservation criteria were followed as per the rules. "There has been no violation of reservation rules in the appointments," he said.

RJD member Abdul Ghafoor raised the issue of fewer appointments of Urdu teachers against the said vacancies, which was also rebutted by the education minister.

"We have, in fact, raised the number of seats of Urdu teachers as per requirements in schools," he said.

LY
pm
7N
K,

App Id

App Name

App No

26

App Id	App Name	App No	App Name	DOB	Address	Training Session	Category	Area District
22847	OP2010076311	SURESH CHANDRA FAI	ROHIN RAI	04/04/1967	AT+POST- KHESRAHI V/L PATEPUR DIST-VAISHALI PIN-851112	1986-1988	BC-II	WEST CHAMPARAN
22848	OP2010077776	CHANDRA RAY	NAURANGI RAY	04/03/1986	V/L-DEVS RAY AT SAMHARIYA PO CHOUDH DIST-ARWAL PIN 824422	1986-1988	BC-II	JAMUI
22849	DP2010062686	MD ARIFF HUSSAIN	MD ABUL HASAN	01/02/1989	VILL-LAKHINARAR POSTOF TAFOLUNA VIA VILLALGAPUR DIST-PURNEA PIN864321	1986-1988	URD	PUKNA
22850	OP201009980*3	CHANDRA REKHA RANI	LATE THAKUR PRASAD YADAV	01/07/1970	W/O-KAMAL KISHOR YADAV AT-BALATOL PO-NAVATOLA PS-PURAINI DIST -MADHEPPURA (BIHAR)	1986-1988	BC-II	JAMUI
22851	OP201012868	GOURI KUMARI	BANKEY BIHARI ROY	01/08/1963	VILL- SHANKARPUR POST- SHANKARPUR P.S. -MUFASIL, DIST. MUNGER BIHAR	1986-1988	BC-II	JAMUI
22852	OP201008804	DEVEN JARAY	MOHAR RAI	02/03/1970	VILLAGE BISHUNPATI PO- MARSIL DIST. VAISHALI PIN-844521	1986-1988	BC-II	WEST CHAMPARAN
22853	OP2010090598	SUNITA KUMARI	RAM PRATAP NARAYAN VERMA	04/01/1967	AT+PO-KHANJAHANPUR VIA-SIRIPUR, DIST. -BEGUSARAI, BIHAR, PIN-851132	1986-1988	BC-II	JAMUI
22854	OP201046878	KUMARI RAGINEE	SURYA DEO NARAYAN MADHUKAR	04/01/1966	KUMAR RAGINEE W/O-VIJAY KUMAR PRASAD, VILL-YAMUNPUR P. O-AURAIYA, P.S-ADAPUR R DIST-EAST CHAMPARAN PIN-845305	1986-1988	BC-II	WEST CHAMPARAN
22855	OP201058613	MD.MUSA	MD.HANIF	18/01/1961	VILL-DANSAR PO-BABHANI PS+BLOCK-DAGRUA VIA-DURGAGANJ DIST-PURNIYA BIHAR PIN 855105	1986-1988	BC-II	ARARIA

A photo copy of application for District Option is annexed herewith and marked as Annexure-2 to this writ petition.

6. That vide order contained in letter No. 41 dt. 09.01.2012 the Govt. of Bihar Education Department created District wise post and accordingly it was communicated to all the concerned authority.

A photo copy of order contained in letter No. 41 of 09.01.2012 is annexed herewith and marked as Annexure-3 to this writ petition.

5. शैक्षणिक योग्यता :- इस पद के लिए निम्नांकित शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य होगा :-

- (i) केन्द्र या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय / महाविद्यालय से इन्टरमीडिएट परीक्षा (उप कंडिका V को छोड़) उत्तीर्ण हो। इसके अधीन किसी संस्थान द्वारा प्रदत्त तकनीकी डिग्री या भाषा विशेष की डिग्री / उपाधि जिराकी समतुल्यता की मान्यता बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग (पूर्व कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) अथवा मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार द्वारा शिक्षक पद पर नियुक्ति / नियोजन हेतु नहीं दी गई है, सम्मिलित नहीं है।
- (ii) वर्ष 1995 के पूर्व केन्द्र अथवा किसी राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय प्रशिक्षण परीक्षा अथवा बी० एड० की परीक्षा उत्तीर्ण हो। वर्ष 1995 के बाद एन० सी० टी० ई० द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से दो वर्षीय शिक्षक प्रशिक्षण डिप्लोमा या बी० एड० अथवा बी० एल० एड० की परीक्षा उत्तीर्ण हो।
- (iii) उर्दू शिक्षक के पदों के लिए बिहार मदरसा शिक्षा बोर्ड से मौलवी (इन्टरमीडिएट स्तर) तथा समतुल्य परीक्षा पास अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में 200 अंकों के उर्दू विषय की परीक्षा के साथ दो वर्षीय प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण हो।
- (iv) शारीरिक शिक्षक के पदों के लिए इन्टरमीडिएट उत्तीर्ण तथा सी० पी० एड० / डी० पी० एड० की डिग्री हो।
- (v) ऐसे अभ्यर्थी, जो बिहार राज्य के निवासी हैं तथा वर्ष 1995 के पूर्व बिहार राज्य (अविभाजित) के किसी मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय से दो वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण हैं अथवा सी० पी० एड० / डी० पी० एड० उत्तीर्ण हैं किन्तु इन्टरमीडिएट नहीं है वे भी नियुक्ति के लिए आवेदन दे सकेंगे। किन्तु नियुक्ति के 4 वर्षों के अन्दर उन्हें इन्टरमीडिएट की योग्यता हासिल कर लेना अनिवार्य होगा।

6. अन्य पात्रता :-

- (i) भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य का निवासी हो।
- (ii) दिनांक-23.01.2006 तक प्रशिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण हो।

7. आयु :- दिनांक-23.01.2006 को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा 31.01.2011 को अधिकतम उम्र 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी चाहिए।

8. आरक्षण :-

- (i) राज्य सरकार के आरक्षण नियम के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति की जायेगी।
- (ii) आरक्षण कोटि में नियुक्ति हेतु दावा करनेवाले उम्मीदवारों से जाति प्रमाण पत्र लिये जायेंगे। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दावा करनेवाले को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं पिछड़ा एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग में दावा करने वाले को जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत पदाधिकारी के द्वारा क्रिमिलेयर में शामिल नहीं होने का प्रमाण-पत्र देना होगा। ऐसा नहीं करने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। जो उम्मीदवार जाति प्रमाण-पत्र नहीं देंगे अथवा आरक्षित कोटि में दावा नहीं करेंगे उन्हें सामान्य कोटि का अभ्यर्थी मानकर नियुक्ति की जायेगी।
- (iii) विकलांग उम्मीदवारों को नियमानुसार 3: समानान्तर आरक्षण देय होगा। विकलांग उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्रदत्त विकलांगता प्रमाण-पत्र देना होगा।
- (iv) विहित आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के आवेदन की तिथि अंतिम तिथि होगी, उक्त तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य कोटि में अंकित किये जायेंगे।

9. संवर्ग एवं सेवा शर्त :- बिहार विशेष प्रारंभिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के अधीन नियुक्त शिक्षकों का जिला संवर्ग होगा एवं इनका वेतनमान तथा सामान्य सेवा शर्तें वही होगी जो पूर्व के जिला संवर्ग के नियुक्त शिक्षक के हैं। किन्तु पेंशनादि हेतु ये शिक्षक राज्य सरकार के अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे।

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

10. प्रविष्टि :-

- (i) आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार (210x297 मिमी०) के मोटे कागज पर आयोग की वेबसाइट <http://bssc.bih.nic.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन प्रपत्र दो पृष्ठों में ही होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इस विज्ञापन से संलग्न आवेदन पत्र की छाया प्रति उपरोक्त निर्देशित आकार के कागज पर कर उबरे व्यवहार में आप ले सकते हैं।
- (ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें। चूँकि आवेदन

कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो, उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

- (iii) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसे पर लागू न हो, उसे (x) कर दें।
- (iv) उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

11. फोटोग्राफ :- आवेदन-पत्र के निर्धारित स्थान पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़ी गई खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटैप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। उम्मीदवार का फोटो, हाल के निगेटिव से बने होने चाहिए। अस्पष्ट फोटो आवेदन-अस्वीकृति का कारण हो सकता है।

12. आवेदन पत्र का प्रेषण :-

- (i) आवेदन पत्र के साथ सभी शैक्षणिक योग्यता संबंधी सभी प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति, जन्म तिथि के सत्यापन के लिए मैट्रिक या सी०बी०एस०ई० या आई०सी०एस०सी० या अन्य राज्य के बोर्ड का प्रमाण पत्र/पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जिला पदाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमिलेयर में न होने या जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित छाया प्रति, (आवेदन के साथ स्टेपल न करें) लिफाफे में भरकर अवश्य संलग्न करते हुए निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से निर्धारित तिथि तक निम्न पते पर भेजें :- **सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पोस्ट-वेदनरी कॉलेज, पटना-800014**। लिफाफे निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से भेजे गये आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक ही स्वीकार किये जायेंगे। हाथों-हाथ अथवा अन्य किसी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (ii) आवेदन भेजे जानेवाले लिफाफे पर विज्ञापन संख्या तथा जिस शिक्षक के पद (सामान्य पद/उर्दू/शारीरिक शिक्षक का पद) के लिए आवेदन दिया जा रहा है, उसे अवश्य अंकित करें।
- (iii) आवेदन पत्र के साथ 22x24 सेमी का (अभ्यर्थी के पता के साथ) एक लिफाफा संलग्न किया जायेगा, जिस पर 25 (पच्चीस) रुपये का निबंधित पोस्ट हेतु डाक टिकट चिपका हो।

13. अन्य आवश्यक निर्देश :-

- (i) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में ही आवेदन-पत्र भरा होना चाहिए। आवेदक आवेदन पत्र के निर्धारित स्थानों पर अपना पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे। आवेदन पत्र के निर्धारित स्थानों पर आवेदक का हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।
 - (ii) आवेदक अपने नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में अंकित है।
 - (iii) जन्म तिथि :- आवेदक के मैट्रिक सर्टिफिकेट/अंक-पत्र में जो उनकी जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष अंकित है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।
 - (iv) आवेदक आवेदन पत्र में अपना नाम, पिता या पति का नाम, पत्राचार का संपूर्ण एवं स्पष्ट पता भरेंगे तथा अपना हस्ताक्षर निर्धारित स्थान पर करेंगे। आवेदन पत्र में किसी प्रकार का पुनर्लेखन (Overwriting), काट-कूट (Cutting), विलेखन (Erasing) होने पर आवेदन पत्र रद्द कर दिया जायेगा।
 - (v) अभ्यर्थी अपनी हस्तलिपि में ही अपना आवेदन पूर्ण रूप से भरें।
14. अंतिम तिथि :- भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजें ताकि दिनांक-19.07.2010 को संख्या 6.00 बजे तक सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पो- वेदनरी कॉलेज, पटना-800014 को अवश्य प्राप्त हो जाये। अन्य किस्म भी माध्यम से भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग जम्मेदार नहीं होगा।

15. अन्याय :-

- (i) अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- (ii) किसी प्रकार की पैरवी करने या कराने अथवा गलत या अपूर्ण सूचना देने पर अम्यथित्व रद्द कर दिया जायेगा, जिराके लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।